न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– फांसिस बारला ....बगैरह।

बनाम

वाद सं0 19/2021

द्वितीय पक्ष– तेयोफिल बरला .... बगैरह।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
8/10/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कुरकुरा के अप्रथमिकी सं0 01/2021 दिनांक 24/03/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) फांसिस बारला उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 जोसेफ बारला (2) ज्योति बारला उम्र 45 वर्ष पति फांसिस बारला दोनो सा0 टाटी महुआ टोली थाना कुरकुरा जिला गुमला **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) तेयोफिल बारला उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 रफायल बारला सा0 टाटी महुआ टोली (2) जेरेनियस बरला उम्र 55 पिता स्व0 राफेल बारला सा0 टाटी महुआ टोली थाना कुरकुरा जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर उभय पक्षो के बीच आपसी विवाद एवं तनाव होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.09.05 13:24:58 +05:30 Location: 192.168.1.2	